राजस्थान सरकार
न्याय विभाग
————————

क्रमांक प.2(2) सामान्य/न्याय/2023 दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

————————————————————

विषयः– राज्य सरकार के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन विभिन्न अवमानना प्रकरणों में उचित पर्यवेक्षण एवं न्यायिक प्रकरणों के अद्यतन बाबत्।

महोदय/महोदया,

इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की कॉज लिस्ट में प्रतिदिन लगने वाले लगभग 20 से 30 प्रतिशत प्रकरण ऐसे पाये जाते है जो लाईट्स पर दर्ज ही नहीं है जिनके संबंध में कोई जानकारी नहीं होने से पर्यवेक्षण नहीं हो पा रही है। साथ ही ऐसे प्रकरण, जो लाईट्स पर दर्ज है उनमें प्रभारी अधिकारियों/समन्वयकों के नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं है एवं काफी प्रभारी अधिकारी जो रिटायर हो चुके है अथवा स्थानान्तरित हो चुके है के मोबाईल नम्बर दर्ज होने से वर्तमान प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क नहीं हो पाता है। यदि लाईट्स पर शत–प्रतिशत अपडेशन हो तो निश्चित रूप से अत्याधिक प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकती है।

मुख्य सचिव महोदया द्वारा न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा दिनांक 30.10.2023 को सायं 04.00 बजे निर्धारित की गयी है। अतः प्रशासनिक विभाग के नोडल अधिकारी अपने विभाग के विचाराधीन समस्त अवमानना प्रकरणों को न्याय विभाग की लाईट्स वेबसाईट पर दर्ज करावें एवं लाईट्स वेबसाईट पर अपने प्रभारी अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत/निधन/परिवर्तन की स्थिति पर उसी दिवस को अद्यतन किया जाना है।

प्रत्येक विभाग द्वारा न्यायिक प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर/ई–मेल के साथ ई–मेल आईडी justice-deptt@rajasthan.gov.in पर भिजवाने हेतु एवं उक्तानुसार अद्यतन कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

Signature Not Verified

RajKaj Ref 4948898

Digitally signed by Anand Kumar
Designation: Principal Secretary To Government
Date: 2023.10.20 16:27:52 IST
Reason: Approved

प्रमुख शासन सचिव